

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0न0 05/अपील/24

तारीख दायरा: 07.02.2024

तुफानसिंह वल्द श्री भवानी सिंह जाति राजपूत

निवासी हतुनिया तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़

(अपीलान्त)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पचपहाड़

(रेस्पॉण्डेंट)



अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार पचपहाड़ निर्णय दिनांक 24.02.2023

मिसल न0 2144/2023

उपस्थित:- श्री तंवरसिंह, अभिभाषक अपीलान्त

पेरोकार सरकार

-: निर्णय :-

दिनांक: 30.07.2024

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 24.02.2024 जो मिसल न0 2144/2023 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्त को ग्राम हतुनिया तहसील पचपहाड़ की आराजी ख0न0 31/672 रकबा 0.4805 हैक्टेयर में से 0.2402 हैक्टेयर बरानी सोयम पर अतिक्रमी मानकर 105/-रु0 शास्ती तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रिसियस तथा परवर्स एवं पत्रावली संग्रहसार के विरुद्ध होने से निरस्तनिय है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाकर अतिक्रमी गलत माना गया है। अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2024 निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील मीमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बगैर

2
जिला कलक्टर
झालावाड़

उसकी अनुपस्थिति में उसके खिलाफ एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलान्त का उक्त प्रश्नगत आराजी खसरा नं० 31/672 रकबा 0.2402 हैक्टयर बारानी सोयम पर कोई कब्जा नहीं है इस बाबत वह न्यायालय में प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर देगा एवं पेनल्टी की राशि भी जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाने पर अपीलान्त द्वारा निर्णय जेर व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।



हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर बेदखली की गई थी जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के लेखबद्ध बयानों से मानी है। इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट अनुसार अपीलान्त का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होना अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेंगे। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक: 30.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
जालावाड़
राजस्थान